25/4/17

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक 24 APR 2017

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः—करौली एवं प्रतापगढ़ में नवसृजित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भः—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.04.2017 द्वारा करौली एवं प्रतापगढ़ में सृजित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हेतु निम्नलिखित पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक सृजित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:—

क0सं0	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1—1 पद)
2.	शीघ्र लिपिक ग्रेड—2	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1—1 पद)
3.	रीडर	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1—1 पद)
4.	कनिष्ठ लेखाकार	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1—1 पद)
5.	कनिष्ठ लिपिक	6 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 3—3 पद)
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 6—6 पद)
	कुल	**26 पद**

उक्त दो अधिकरणों हेतु प्रति अधिकरण के लिए नवीन आईटम्स हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:—

क0सं0	आईटम्स	राशि (राशि लाख रूपये में)
1.	फर्नीचर	3.00
2.	टेलिफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
	कुल	**4.82**

उक्त अधिकरण हेतु भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स बजट शीर्ष 2014—00—116(01)—[00] में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

उक्त अधिकरण के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की 60% राशि प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता होने पर तखमीने सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर राशि स्वीकृत की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—5) विभाग की आई.डी. संख्या 101701848 दिनांक 24.04.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(signature)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय—5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर को भारत सरकार को भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव भिजवाने हेतु

Fax-779 25.4.17

747 25/4/2017

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायाल, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)45/17/4265 दिनांक : 01/05/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला न्यायाधीश, करौली एवं प्रतापगढ ।

02. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, करौली एवं प्रतापगढ ।

03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

29/5/17

रजिस्ट्रार (प्रशासन)